पचास रुपये

FIFTY

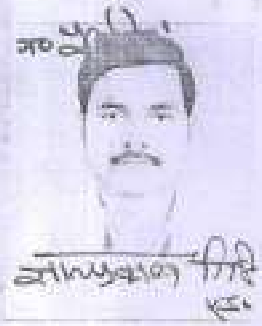

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यास–पत्र

हम कि *सोमनाथ पुत्र स्व0 परमेश्वर राम, निवासी ग्राम– म0नं0 सिसवा बाजार वार्ड नं0 12 बैंक रोड़ गजरू टोला सिसवा बाजार, तहसील– निचलौल, जनपद– महराजगंज* का निवासी हूँ । हम मुकिर जनहित के कार्यों को सम्पादित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ और समाज के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ। हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बने रहने के कारण हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि जनसामान्य का सर्वांगीण विकास कर समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो । समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ भोजन, शिक्षा उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था के साथ शैक्षिक बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही साथ मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देशभर में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाये । हम मुकिर विभिन्न शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्ध रहकर जनहित के कार्यों का सम्पादन निरन्तर करता रहता हूँ जनहित के आवश्यक कार्यों को संचालित करने तथा जन की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न समितियों एवं संस्थाओं का गठन किया जाना आवश्यक पा कर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी शैक्षिक न्यास की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधन की व्यवस्था के बावत 10000(दस हजार मात्र)रू0 का एक न्यास कोष स्थापित किया जाता है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करता रहूँगा । हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत निम्नवत् एक न्यास पत्र को भी निष्पादित किया जा रहा है।

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास के नाम *"कलावती देवी चैरिटेबल* ट्रस्ट" होगा जिसे न्यास पत्र में आगे न्यास / ट्रस्ट शब्द से सम्बोधित किया गया है।

Digitally signed by SOMNATH
Date: 2025.08.19 14:33:05 +05:30
Reason: reason
Location: location

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

पहचान पत्र

IDENTITY CARD

UP/39/191/0732259

Duplic[illegible]

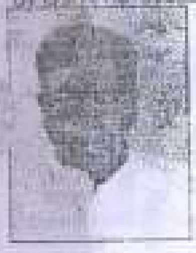

Mob. 9415885222

निर्वाचक का नाम : [illegible]

Elector's Name : Samanth

पिता का नाम : [illegible]

Father's Name : Parameshvar

लिंग / Sex : पुरुष Male

1.1.2007 को आयु / Age as on 1.1.2007 : 53

पहचान पत्र संख्या – [illegible]

पता

म.सं. : 172

गली/मोहल्ला : [illegible] वा. 1-2

ग्राम/नगर : [illegible]

थाना : कोठी भार

जिला : महाराजगंज

Address

H.No. : 172

Strt/Mohalla : Gajmotainvagar Nan 01-2

Vill/Town : Nsign[illegible]

PoliceStn. : Kothi Bhar

Distt. : Maharajganj

Pin :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

निर्वाचन क्षेत्र 175-[illegible]

Facsimile Signature of Electoral Registration Officer

for 175-Siswaya

स्थान : महाराजगंज

Place : Maharajganj

दिनांक / Date : 28/05/2007

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes.

218/1081

Samanth

भारत सरकार

Government of India

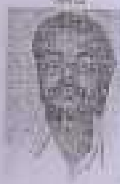

धर्मेन्द्र कुमार

Dh[illegible] Kumar

जन्म तिथि / DOB : 11/07/19[illegible]

पुरुष / Male

3001 8122 4987

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:
S/O: सुदामा प्रसाद, [illegible]
[illegible]
[illegible]
273302

Address:
S/O: Sudama Prasad, Laxmipur Ekdanga, Maharajganj, Laxmipurekdanga, Uttar Pradesh, 273302

3001 8122 4987

1947 | help@uidai.gov.in | [illegible]

धर्मेन्द्र कुमार

Dharmendra

मो० नं० - 991 379929

भारत सरकार
Government of India

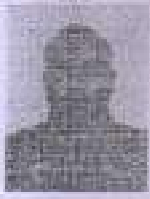

धर्मेन्द्र कुमार खरवार
Dharmendra Kumar Kharwar
जन्म तिथि / DOB : 10/07/1979
पुरुष / Male

9721 6739 1611

आधार - आम आदमी का अधिकार

Unique Identification Authority of India

पता:
S/O: कुमार किशोर, अम्हौरा, नौतनवा, अम्हौरा, अम्हौरा, महाराजगंज, निचलौल, उत्तर प्रदेश 273163

Address:
S/O: Yugal Kishor, Amhaura, Nichlaul, Amhaura, Amhaura, Maharajganj, Nichlaul, Uttar Pradesh, 273163

9721 6739 1611

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2- यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय *ग्राम– न०प० सिसवा बाजार, पोस्ट– सिसवा बाजार, तप्पा– पुरानी, तहसील– निचलौल, जिला– महराजगंज* में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करना तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के लिए इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट के द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा । ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधिपूर्ण कार्यों को संचालन किया जा सकेगा ।

3- यह कि हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे । हम मुकिर द्वारा संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार इस ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं को ट्रस्ट का ट्रस्ट नामित करता हूं । भविष्य में मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टीयों की भी नियुक्ति की जा सकेगी । हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टीया तथा मुख्यट्रस्ट को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा । ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है–

1. *सोमनाथ पुत्र स्व0 परमेश्वर राम* [redacted] निवासी ग्राम– न.प. सिसवा बाजार वार्ड न0 12 गजरू टोला सिसवा बाजार, पोस्ट– सिसवा बाजार, तहसील– निचलौल, महराजगंज।
2. *संजय कुमार पुत्र सोमनाथ,* निवासी ग्राम– न.प. सिसवा बाजार वार्ड न0 12 गजरू टोला सिसवा बाजार, पोस्ट– सिसवा बाजार, तहसील– निचलौल, महराजगंज।
3. *श्रीमती भारती देवी पत्नी संजय कुमार,* निवासी ग्राम– न.प. सिसवा बाजार वार्ड न0 12 गजरू टोला सिसवा बाजार, पोस्ट– सिसवा बाजार, तहसील– निचलौल, महराजगंज।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रू.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 154193

4. ***राजेश कुमार चौरसिया पुत्र सोमनाथ***, निवासी ग्राम– न.पं. सिसवा बाजार वार्ड नं0 12 गजरू टोला सिसवा बाजार, पोस्ट– सिसवा बाजार, तहसील– निचलौल, महराजगंज।
5. ***श्रीमती सुनीता देवी पत्नी राजेश कुमार चौरसिया***, निवासी ग्राम– न.पं. सिसवा बाजार वार्ड नं0 12 गजरू टोला सिसवा बाजार, पोस्ट– सिसवा बाजार, तहसील– निचलौल, महराजगंज।
6. ***अविनाश कुमार पुत्र सोमनाथ*** निवासी ग्राम– न.पं. सिसवा बाजार वार्ड नं0 12 गजरू टोला सिसवा बाजार, पोस्ट– सिसवा बाजार, तहसील– निचलौल, महराजगंज।
7. ***निर्मला देवी पत्नी अविनाश कुमार***, निवासी ग्राम– न.पं. सिसवा बाजार वार्ड नं0 12 गजरू टोला सिसवा बाजार, पोस्ट– सिसवा बाजार, तहसील– निचलौल, महराजगंज।

4- यह कि हम मुकिर द्वारा ***कलावती देवी चैरिटेबुल ट्रस्ट*** के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना की मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना ।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हे शिक्षित एवं रोजगारोमुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभासम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना ।
3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक शिक्षा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट (10+12) व स्नातक स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ।
4. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा हेतु महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना तथा समाज/स्थानिय आवश्यकताओं को देखते हुए दुकान व आवास का निर्माण करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 154193

5. वर्तमान समय में विज्ञान के जन– जीवन का आवश्यकता एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना ।
6. लिंग–भेद, जाति–पाँति, छुआ–छुत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिये प्रशिक्षण/ जागरूकता/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना ।
7. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं जैसे– मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी०सी० एस०, आई०ए०एस० में प्रवेश की तैयारी के लिये कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था कराना ।
8. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे– सिलाई कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी०वी० ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्ट हैण्ड कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण , डाईटिंग प्रशिक्षण की स्थापना/ व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना । आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, खेल, मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ।
9. खाद्य प्रस्संकरण तथा फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना ।
10. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल– कूद प्रतियोगिता का आयोजन करना ।
11. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना करना तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चो निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय, छात्रवास एवं वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनना ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र एवं वृद्ध सेवा केन्द्र की स्थापना करना ।
12 महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र एवं वृद्ध सेवा केन्द्र, आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, आराम
13 समुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, खेल–मैदान, योग प्रशिक्षण
घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल–मैदान, योग प्रशिक्षण की स्थापना एवं प्रबन्ध करना ।
केन्द्र एवं अन्य प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना । केन्द्र एवं अन्य प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर
14. सरकारी, प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों का उत्पादन करना ।
उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी बूटी वाले पौधों का उत्पादन करना ।
15. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना
करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके
जैसे– यूनीसेफ, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित
विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना ।
16. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए रेशम
उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन तथा इसके लिये युवाओं को
प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना ।
17. समूहित विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना तथा विभिन्न त्योहारों और समारोहों
पर होने वाले भोजन, अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु प्रयास करना ।
18. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे– योग, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटा, कबड्डी तथा अन्य शहरी
एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा
प्रतियोगिता कराना ।
19. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र
में जागरूकता/प्रशिक्षण दवा/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के
साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का
आयोजन करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20. एड्स, कैन्सर, टी0बी0 कोढ़ मलेरिया, पोलियो, इन्सेफेलाइटिस हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज होमियोपैथिक आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय /पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रो चिकित्सालय नर्सिंग होम व पालटेक्निक की स्थापना करना ।
21. सरकार की सहायता से गावों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, [illegible] खडन्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना सरकारी [illegible] गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्पलागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना ।
22. वर्मी कम्पोस्ट एवं साग–सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक [illegible] से होने वाली हानि से लोगों को अवगत कराना ।
23. प्राकृतिक आपदा मे प्रभावित लोगो की सहायता करना तथा सड़क/ट्रेन दुर्घटना, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की व्यवस्था करना ।
24. उन समस्त योजनाओं का कियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
25. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगो/संस्थाओं के सम्बन्ध मे सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के काउन्सिलिंग की स्थापना करना ताकि सहायता समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों की कानूनी सहायता की जा सके ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 154203

26. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्मानित किया जा सकेगा तथा किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी पत्र अथवा एन0जी0 एसोसियेशन ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया–कलापों में सहयोग देना ।
27. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करना ।
28. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना ।
29. वृद्धों के लिये वृद्धा आश्रम केन्द्र अथवा पुर्नवास केन्द्र स्थापना करना जिसमें मनोरंजन, पढ़ने लिखने एवं खेलने की पूर्ण सुविधा हो ।
30. लोगों के ठहरने हेतु अतिथि गृहों का निर्माण व अतिथि गृह किराये पर लेकर संचालित करना ।
31. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, फाउण्डेशन, ट्रस्ट एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एन0जी0ओ0 के साथ कार्य करना तथा उनसे आर्थिक सहायता लेना ।
32. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारत में चलाये जा रहे कार्यक्रम का क्रियान्वयन, संचालन एवं मार्ग दर्शन करना तथा उनके कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन के लिये आर्थिक मदद लेना व देना ।
33. विभिन्न ट्रेडों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं कौशल विकास केन्द्र की स्थापना व संचालन करना ।
34. सरकारी जमीनों को लीज पर लेना एवं उसको जन कल्याण योजना के तहत विकसित करना ।
35. यह कि भविष्य में ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में समयानुसार अन्य कोई परिवर्तन/वृद्धि कर सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ट्रस्ट मण्डल के अधिकारी एवं कर्तव्य–

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओ व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना ।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयां को सुचारु व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओ की स्थापना करना तथा इसके समितियों व उपसमितियां का गठन करना ।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओ व समितियो के सुचारू रूप से संचालन के लिये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उन नियमों को बनाना ।
4. ट्रस्ट एवं उसके अधीन स्थापित संस्थाओ व समितियां की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप मे तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा, इत्यादि प्राप्त करना ।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध करना ।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख– भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना और अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना ।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओ व गठित समितियों मे अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों मे उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट मे निहित करना ।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों व अन्य समस्त समितियां के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित मे अन्य कार्यों को करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा सचालित संस्थाओं के हित मे व्यक्तियों, संस्थाओं सरकारी, अर्द्ध–सरकारी गैर, सरकारी विभागो से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना ।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये ट्रस्टमण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना ।
11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा–80 जी0जी0 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना ।
12. ट्रस्टके द्वारा सचालित शैक्षिक संस्थाओं के प्रबन्ध समिति के गठन हेतु पदाधिकारियो एवं सदस्यों को नामित करना ।
13. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी /गैर तकनीकी विद्यालयों, इन्स्टीच्यूटस विश्वविद्यालयों की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर आवश्यक कार्य करना ।
14. किसी अन्य पंजीकृत ट्रस्ट अथवा संस्था सोसायटी के द्वारा स्वेच्छा से ट्रस्ट में सम्मिलित होने का प्रस्ताव आने पर उसके समस्त निधियों सहित ट्रस्ट में सम्मलित करना उसके सम्पत्ति का अधिग्रहण करना ।
15. समान उद्देश्यों वाली संस्था/ ट्रस्ट को अनुदान/सम्पत्ति प्रदान करना ।
16. आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट के नियमावली में संशोधन करना ।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था –

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन–

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा–

1. ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी एव प्रबन्धक हम मुकिर होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल मे अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा । मुख्य ट्रस्टी के मृत्यु

Gulnaz

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अधिकार उसके द्वारा वसीहत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी के न रहने पर ट्रस्ट मण्डल में से ही विधिक उत्तराधिकारी का चयन मुख्य ट्रस्टी के रूप में होगा ।

2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा । किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा ।

3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण की ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टीयों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने मे से बहुमत के आधार पर किया जायेगा । ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी, [illegible] के आकस्मिक निधन होने पर ट्रस्ट मण्डल मे से ही विधिक उत्तराधिकारी चयनित होगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी । यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टीयों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा

4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी [illegible] व्यक्ति को नामित करके की जायेगी ।

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट मण्डल के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति जो मुख्य ट्रस्टी के परिवार का ही [illegible] ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में सयोजित कर लिया जायेगा । यदि कोई ट्रस्टी [illegible] ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 1542[illegible]

6. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था अथवा इन्स्टीट्यूड की नियमक संस्था या विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी [illegible] स्वीकृत या अनुमादित कराये गये प्रशासन योजना के प्रावधानों के कम मे उसकी प्रबन्ध [illegible] का गठन किया जायेगा ।

7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा ।

8. ट्रस्ट के कार्यो के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि द्वारा किये गये खर्चे व उसके सम्बन्ध मे प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बिलों व वाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सरक्षित होगा ।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन-

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष मे एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी । उक्त वार्षिक बैठक [illegible] ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्ध /सचिव व प्रधान [illegible] अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेगें । वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को [illegible] दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा । वार्षिक बैठक मे अनुपस्थित व बैठक मे भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी । कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व [illegible] से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
2. वार्षिक बैठक मे ट्रस्ट के साल भर के किया कलापो पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा । विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा ।

7. मुख्य ट्रस्टी/मैनेजिंग ट्रस्टी व प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना ।
2. ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष मे समान मत होने की स्थिति में अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31 134291

3. ट्रस्ट मण्डल की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और समय समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता प्राप्त करना ।
4. ट्रस्ट मण्डल की बैठकों को आयोजित तथा बैठकों को स्थगित करना ।
5. इस ट्रस्ट के मुख्य/मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के साथ ही साथ ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्धक के रूप में कार्य करना ।
6. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना ।
7. ट्रस्ट की कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना ।
8. ट्रस्ट की बैठकों को आमन्त्रित कर उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना ।
9. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय- व्यय का हिसाब किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना ।
10. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल—अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व अन्य सम्बन्धित विलेखों का हस्ताक्षरित करना ।
11. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाही में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
12. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट का मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टीयों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्य को करना ।
13. ट्रस्ट के आय- व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्य का लेखा परीक्षण करना ।
14. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख रखाव करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रू. 50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 15420

8. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था –

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख रखाव एव उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त व अधिसूचित बैंक मे ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली धनराशि एवं ऋण राशियां निहित होगी, ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रुप से किया जायेगा।

9. ट्रस्ट के अभिलेख –

ट्रस्ट के अभिलेखो को तैयार करने/कराने व रख – रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रुप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखों का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा ।

10. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था –

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रुप में की जायेगी–

1. ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों वित्तीय संस्थाओं व बैंको से दान सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा । इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
2. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के तरफ से स्थापित संस्थाओं एव समितियों को संचालित करने के लिये भूमि भवन एवं मोटर वाहन इत्यादि क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण व विक्रय के लिये नियमानुसार कार्यवाही कर सकेंगे ।
3. ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा ।
4. ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी ।

न्यास पत्र

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 200

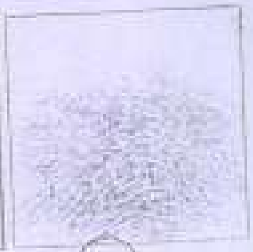

श्री सोमनाथ ,
पुत्र श्री परमेश्वर राम
व्यवसाय : कृषि
निवासी: सि०- न०प० सिसवा बाजार वार्ड न० 12 बैंक रोड गजन टोला सिसवा बाजार, निचलौल महाराजगंज

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/07/2018 एवं 03:02:53 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिमन्यु प्रसाद गुप्त
उप निबंधक निचलौल
महाराजगंज
31/07/2018

अमीरुल्ला
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) , निचलौल

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी जिसका संचालन मुख्य ट्रस्टी करेगा।
6. ट्रस्ट के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।
7. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी अथवा मुख्य [illegible] अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तें एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु आवश्यक कर्मचारियों को भी नियुक्ति करेगा।
9. ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक [illegible] तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
10. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के [illegible] प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्तें लागू होंगी।

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी:

श्री सोमनाथ, पुत्र श्री परमेश्वर सैनी

निवासी: सा०- न०प० सिसवा बाजार वार्ड न० 12 बैंक रोड गनेश टोला सिसवा बाजार, निचलौल, महाराजगंज

व्यवसाय: कृषि

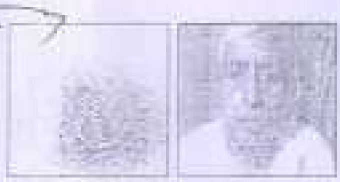

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री धर्मेन्द्र कुमार , पुत्र श्री सुदामा प्रसाद

निवासी: सा०- लक्ष्मीपुर एकडंगा तहसील- सदर महाराजगंज

व्यवसाय: कृषि

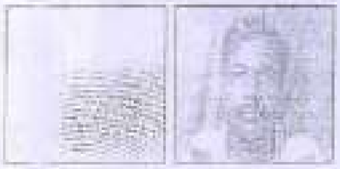

पहचानकर्ता : 2

श्री धर्मेन्द्र कुमार खरवार , पुत्र श्री युगुल किशोर

निवासी: सा०- खन्हौआ तहसील- निचलौल महाराजगंज

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

अभिमन्यु प्रकाश गुप्ता
उप निबंधक : निचलौल
महाराजगंज

अमीरुल्लाह
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - निचलौल

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 15421

घोषणा–पत्र

"कलावती देवी चैरिटेबुल ट्रस्ट" की तरफ से हम *सोमनाथ मुख्य ट्रस्टी* के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझ कर न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे कि इस न्यास का विधिवत् गठन हो सके ।

यह भी घोषणा करता हूँ कि ट्रस्ट के पंजीकरण के समय तक इस न्यास विलेख में उलिखित मु0 10000(दस हजार)रुपये की धनराशि के अतिरिक्त ट्रस्ट के पास कोई अतिरिक्त सम्पत्ति नही है।

सोमनाथ

हस्ताक्षर साक्षीगण

1- धर्मेन्द्र कुमार
पुत्र- सुदामा
लक्ष्मीपुर एकडंगा-महराजगंज
9935379929

2
-धर्मेन्द्र पुत्र बुगुल
ग्राम अमहेरा पोस्ट आदैना
जिला महराजगंज तहसील निचलौल
7269081010

मसौदाकर्ता – ज्ञानप्रकाश गौड़
एडवोकेट
दिनांक 31-7-2018

21

[illegible]

... की तिथि ....

... करने का प्रयोजन ....

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 8 के पृष्ठ 177 से 212 तक क्रमांक
... पर दिनाँक 31/07/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

हरिओम प्रजापति
स्टाम्प विक्रेता
तहसील-निचलौल
दिनांक..............

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिमन्यु प्रसाद गुप्ता
उप निबंधक : निचलौल
महाराजगंज
31/07/2018

प्रिंट करें

भारत सरकार
Government of India

सोमनाथ
Somnath
जन्म तिथि / DOB : 20/07/1947
पुरुष / Male

Issue Date : 21/06/2017

2888 0652 3140

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Print Date : 03/08/2021

पता: द्वारा: परमेश्वर राम भगत, ग्राम व पोस्ट लक्ष्मीपुर एकडंगा, लक्ष्मीपुर एकडगा, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, 273302

Address: C/O: Parmeshwar Ram Bhagat, Gram And Post Laxmipur Ekdanga, Laxmipur Ekdanga, Maharajganj, Uttar Pradesh, 273302

2888 0652 3140

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

9415852343

1767

भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये
FIFTY RUPEES
रु.50
Rs.50
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 154198

4. ***राजेश कुमार चौरसिया पुत्र सोमनाथ,*** निवासी ग्राम– न.पं. सिसवा बाजार वार्ड नं0।2 गजरू टोला सिसवा बाजार, पोस्ट– सिसवा बाजार, तहसील– निचलौल, महराजगंज।
5. ***श्रीमती सुनीता देवी पत्नी राजेश कुमार चौरसिया,*** निवासी ग्राम– न.पं. सिसवा बाजार वार्ड नं0।2 गजरू टोला सिसवा बाजार, पोस्ट– सिसवा बाजार, तहसील– निचलौल, महराजगंज।
6. ***अभिनाश कुमार पुत्र सोमनाथ,*** निवासी ग्राम– न.पं. सिसवा बाजार वार्ड नं0।2 गजरू टोला सिसवा बाजार, पोस्ट– सिसवा बाजार, तहसील– निचलौल, महराजगंज।
7. ***निर्मला देवी पत्नी अभिनाश कुमार,*** निवासी ग्राम– न.पं. सिसवा बाजार वार्ड नं0।2 गजरू टोला सिसवा बाजार, पोस्ट– सिसवा बाजार, तहसील– निचलौल, महराजगंज।

4- यह कि हम मुकिर द्वारा ***कलावती देवी चैरिटेबुल ट्रस्ट*** के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना की मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संखलन हेतु कार्य करना ।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हे शिक्षित एवं रोजगारोमुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभासम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना ।
3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक शिक्षा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये प्रथमिक, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट (10+12) व स्नातक स्नात्तकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ।
4. शिक्षा प्रचार/प्रंसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्रा में सामान्य शिक्षा/ तकनीकी गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा हेतु महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शिक्षा– प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना तथा समाज/स्थानिय आवश्यकताओं को देखते हुये दुकान व आवास का निर्माण करना ।

Gomnath

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 154199

5. वर्तमान समय में विज्ञान के जन– जीवन का आवश्यकता एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना ।
6. लिंग–भेद, जाति–पॉति, छुआ–छुत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिये प्रशिक्षण/ जागरूकता/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना ।
7. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं जैसे– मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0 एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिये कोंचिंग सेन्टरों की व्यवस्था कराना ।
8. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे– सिलाई कढाई, बुनाई, पेन्टिग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्ट हैण्ड कम्पूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण , डाईटिंग प्रशिक्षण की स्थापना/ व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना । आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, खेल, मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ।
9. खाद्य प्रस्संकरण तथा फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना ।
10. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यकम, कुकिंग, कला निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल– कूद प्रतियोगिता का आयोजन करना ।
11. स्माज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को कियान्वित करना करना तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछडे वर्ग/गरीब बच्चो निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय, छात्रवास एवं वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनना ।

Gीताराम

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BL 154200

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र एवं बृद्ध सेवा केन्द्र की स्थापना कराना ।
13. समुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल–मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना ।
14. सरकारी, प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाने पौधों को बडे पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपड, औषधियों एवं जड़ी बूटी वाले पौधो का उत्पादन करना ।
15. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविणा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे– यूनीसेफ, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना ।
16. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन तथा इसके लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना ।
17. समूहित विवाह तथा सामूहिक भोज को बढावा देना तथा विभिन्न त्यौहारों और समारोहों पर होन वाले भेजन, अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु प्रयास करना ।
18. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे– योग, जिम्नास्टिक, जूडो, कराठा, कबड्डी, तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना ।
19. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन, टीकारण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण दवा/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 15420

20. एड्स, कैन्सर, टी0बी0 कोढ़ मलेरिया, पोलियों, इन्सेफेलाइटिस हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज होमियोपैथिक आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय /पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों चिकित्सालय नर्सिंग होम व पालटेक्निक की स्थापना करना ।
21. सरकार की सहायता से गावों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क, खड़न्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना सरकारी - गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्पलागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना ।
22. वर्मी कम्पोस्ट एवं साग–सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाली हानि से लोगों को अवगत कराना ।
23. प्राकृतिक आपदा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा सड़क/ट्रेन दुर्घटना, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिये मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की व्यवस्था करना ।
24. उन समस्त योजनाओं का कियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनकों विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
25. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगो/संस्थाओं के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के काउन्सिलिंग की स्थापना करना ताकि सहायता समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों की कानूनी सहायता की जा सके ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

BL 154203

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यो को भी न्यास के माध्यम से सम्मानित किया जा सकेगा तथा किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी पत्र अथवा एन0जी0, एसोसियशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके किया–कलापों में सहयोग देना ।
27. सरकारी तथा गैर सरकारी / लोगों / संस्थाओं / तंत्रो / कम्पनी / दुकानो से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करना ।
28. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना ।
29. वृद्धों के लिये वृद्धा आश्रम केन्द्र अथवा पुर्नवास केन्द्र स्थापना करना जिसमें मनोरंजन, पढ़ने लिखने एवं खेलने की पूर्ण सुविधा हो ।
30. लोगों के ठहरने हेतु अतिथि गृहों का निर्माण व अतिथि गृह किराये पर लेकर संचालित करना ।
31. अन्तराष्ट्रीय संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, फाउनडेशन, ट्रस्ट एव अन्य अन्तराष्ट्रीय एन0जी0ओ0 के साथ कार्य करना तथा उनसे आर्थिक सहायता लेना ।
32. अन्तराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारत में चलाये जा रहे कार्यक्रम का कियान्वयन, संचालन एव मार्ग दर्शन करना तथा उनके कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन के लिये आर्थिक मदद लेना व देना ।
33. विभिन्न ट्रेडो में औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं कौशल विकास केन्द्र की स्थापना व संचालन करना ।
34. सरकारी जमीनों को लीज पर लेना एवं उसको जन कल्याण योलना के तहत विकसित करना ।
35. यह कि भविष्य में ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में समयानुसी अन्य कोई परिवर्तन / वृद्धि कर सकता है।

Ganga

K.D.S. International School

(CBSE Pattern, English Medium)

Laxmipur Ekdanga - Maharajganj

Ref. No.

Date..19/10/2024...........

POWER AND FUNCTION OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

The School Management Committee will have the following function:-

- It will fairly care for the welfare of teachers and employees of the school.
- It will have the authority to inspect the activities of the school for good going.
- It will have the authority to appoint teachers and non teaching staff.
- It will act on the instructions given by the society regarding admission caring for caste/region, creed.
- It will have jurisdiction to take stock of Academic programmers and progress of the school without hazarding the academic freedom of principal.
- It will always be active in taking various steps for improvement of school.
- It will exercise financial powers beyond those delegated to the principal with the budgetary provision of school.
- It will ensure that the norms given in the Act of the State and CBSE regarding terms and condition of serving and affiliation of the school is strictly adhered to.
- It will lead the principal to maintain tone and discipline of the school.
- It will ensure that no financial irregularity is committed or any irregular procedure with regard to admission/examination is adopted.
- It ensures that school will get furniture, science equipments, library books and other teaching aids and other requisite sports material in sufficient quantity in time.
- It will also have the authority to sanction leave to the head of institution including casual leave.
- It will exercise its right to take disciplinary action against the staff.
- The Managing Committee will meet at least twice in an academic year.

Manager

K.D.S. International School

Laxmipur Ekdanga, Maharajganj (U.P.)